

प्रेषक,

सुरजन,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
प्राविधिक शिक्षा,  
उत्तर प्रदेश कानपुर।

**प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3**

**लखनऊ दिनांक 23 जनवरी 2018**

विषय:-निजी क्षेत्र में डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं को अनापत्ति निर्गत करने विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-44284/ई-ए0आई0सी0टी0ई0/नि0क्षे0/एन0ओ0सी0/2017-18, दिनांक 11.01.2018 के संदर्भ में अवगत कराना है कि निजी क्षेत्र में डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रम के संबंध में ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा एप्रुवल प्रोसेस हैण्डबुक 2018-19 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित आवेदन किए जाने हेतु राज्य सरकार की अनापत्ति प्राप्त किया जाना अनिवार्य किया गया है:-

1. स्थल/ स्थान परिवर्तन।
2. संस्था को पूर्ण रूप से अथवा क्रमिक रूप से बन्द किया जाना।
3. महिला संस्था से सह-शिक्षण संस्था में परिवर्तन अथवा सह-शिक्षण संस्था से महिला संस्था में परिवर्तन।
4. डिप्लोमा स्तरीय संस्था से डिग्री स्तरीय अथवा डिग्री स्तरीय संस्था से डिप्लोमा स्तरीय संस्था में परिवर्तन।
5. डिग्री स्तरीय फार्मसी संस्था में डिप्लोमा अथवा डिप्लोमा स्तरीय फार्मसी संस्था में डिग्री स्तरीय पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति।
6. द्वितीय पाली के पाठ्यक्रम को प्रथम पाली के पाठ्यक्रम में परिवर्तित करने की अनुमति।
7. अंशकालिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुमति।
8. पाठ्यक्रम का नाम परिवर्तन, प्रवेश क्षमता में कमी, पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम को बन्द किए जाने की अनुमति।
9. संस्था के नाम में परिवर्तन की अनुमति।
10. सम्बद्धता प्रदान करने वाले परिषद/ विश्वविद्यालय के नाम में परिवर्तन।
11. ट्रस्ट/ सोसाइटी/कम्पनी के नाम में परिवर्तन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

2- अतः श्री राज्यपाल इस विषय पर पूर्व में निर्गत शासनादेशों को अवक्रमित करते हुये ए0आई0सी0टी0ई0 के एप्रुवल प्रोसेस हैण्डबुक 2018-19 में दी गई उक्त व्यवस्था तथा राज्य सरकार के प्रास्पेक्टिव प्लान के अनुसार उक्तानुसार उल्लिखित समस्त बिन्दुओं पर राज्य सरकार की अनुमति प्रदान किए जाने के संबंध में प्राप्त आवेदनों पर विचार कर निर्धारित समयान्तर्गत राज्य सरकार को संस्तुति प्रेषित किये जाने हेतु निम्नवत समिति का गठन किया जाता है:-

- 1 निदेशक, प्राविधिक शिक्षा 30प्र0, कानपुर - अध्यक्ष
- 2 निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान 30प्र0, कानपुर - सदस्य
- 3 प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 का कार्य देख रहें अनु सचिव /उपसचिव/ संयुक्त सचिव - सदस्य
- 4 कुलपति द्वारा नामित डा0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में सम्बद्धता संबंधी कार्य देख रहें अधिकारी - सदस्य
- 5 सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद 30प्र0, लखनऊ - सदस्य/ संयोजक

3- निजी क्षेत्र की संस्थाओ को उपर्युक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित कार्यों हेतु आवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जायेंगे। प्राप्त आवेदनों को उक्त समिति को संदर्भित किया जाएगा तथा समिति निम्नांकित दिशा-निर्देशों के आधार पर उनका परीक्षण कर अपनी संस्तुति राज्य सरकार को उपलब्ध कराएगी:-

1- अन्तः जनपदीय स्थल/स्थान परिवर्तन की अनुमति परस्पेक्टिव प्लान के अनुसार गुण दोष के आधार पर दी जा सकेगी। अन्तःजनपदीय स्थान परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

2- संस्था को पूर्ण रूप से अथवा क्रमिक रूप से बन्द किए जाने अथवा प्रवेश क्षमता में कमी संबंधी आवेदनों के संबंध में प्राविधानों के अनुसार विचार किया जाएगा। यदि किसी संस्था में विगत वर्ष/वर्षों के दौरान एक तिहाई अथवा उससे अधिक सीटों पर प्रवेश न हुआ हो तो ऐसे मामलों में प्रवेश क्षमता में कमी करने पर विचार किया जाएगा।

3- महिला संस्था से सह-शिक्षण संस्था में परिवर्तन अथवा सह-शिक्षण संस्था से महिला संस्था में परिवर्तन की सामान्यतया अनुमति प्रदान की जाएगी।

4- डिप्लोमा स्तरीय संस्था से डिग्री स्तरीय अथवा डिग्री स्तरीय संस्था से डिप्लोमा स्तरीय संस्था में परिवर्तन के आवेदनों पर परस्पेक्टिव प्लान के अनुसार विचार किया जाएगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5- डिग्री स्तरीय फार्मसी संस्था में डिप्लोमा अथवा डिप्लोमा स्तरीय फार्मसी संस्था में डिग्री स्तरीय पाठ्यक्रम संचालित करने के आवेदनों पर परस्पेक्टिव प्लान तथा शासनादेश संख्या- 3375/सोलह-1-2016-13(2) /2016 दिनांक 26.09.2016 के प्राविधानों के अनुसार विचार किया जाएगा।

6- निजी संस्थाओं में अंशकालिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

7- संस्था के नाम में परिवर्तन के संबंध में यह देखा जाएगा कि संस्था 5 वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि की हो, प्रबंधन विवाद रहित हो तथा सोसाइटी की प्रबंध समिति के गठन में कोई वृहद परिवर्तन न हुआ हो। नाम परिवर्तन केवल एक बार ही अनुमन्य होगा।

8- निजी क्षेत्र में नई संस्था की स्थापना तथा अन्य आवेदनों पर परस्पेक्टिव प्लान तथा गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

भवदीय,

(सुरजन)

विशेष सचिव।

### संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- अध्यक्ष एवं सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इन्द्रप्रस्थ स्टेट, नई दिल्ली।
- 3- अध्यक्ष/सचिव फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली।
- 4- सचिव उ०प्र०, फार्मसी काउन्सिल आफ इण्डिया, लखनऊ ।
- 5- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर।
- 6- निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान उ०प्र० कानपुर।
- 7- सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
- 8- सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उ०प्र० लखनऊ।
- 9- संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा (पूर्वी/मध्य/पश्चिमी/बुन्देलखण्ड) द्वारा निदेशक।
- 10- समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक (द्वारा निदेशक) ।
- 11- ओमनीनेट टेक्नोलाजी को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के लिये ।
- 12- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(कुलदीप बाबू)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।